न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर
पीठासीन अधिकारी श्री महेश गगोरिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/52/2019 वाद दायर दिनांक 11.11.2025

उनवान

1 भैरूसिंह पिता किशनसिंह राजपूत निवासी नाहर जी कि भागल तहसील भूपालसागर
2 भवानीसिंह पिता किशनसिंह राजपूत निवासी नाहर जी कि भागल तहसील भूपालसागर
3 रेमत पिता किशनसिंह राजपूत निवासी नाहर जी कि भागल तहसील भूपालसागर
4 हरिसिंह पिता किशनसिंह फौत के बजाय
   1. संग्राम पिता हरिसिंह निवासी नाहर जी कि भागल तहसील भूपालसागर
   2. दिप कुंवर पिता हरिसिंह निवासी नाहर जी कि भागल तहसील भूपालसागर
   3. तारा कुंवर पिता हरिसिंह निवासी नाहर जी कि भागल तहसील भूपालसागर
   4. चंदा कुवर बेवाहरिसिंह निवासी नाहर जी कि भागल तहसील भूपालसागर

वादी

बनाम

1. ललितादेवी पिता मांगीलाल निवासी भीण्डर तहसील उदयपुर
2. प्रियंका पत्नि अविनाश कांकणी निवासी ताणा तहसील भूपालसागर
1. तहसीलदार, भूपालसागर
2. पटवारी ताणा, तहसील भूपालसागर

प्रतिवादी

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर, जिला-चित्तौड़गढ़

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0

निर्णय दिनांकः 11.11.2025

—: निर्णय :—

प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी का दिनांक 22.03.2023 को प्रस्तुत किया जिसका संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा न्यायालय आपमें दिनांक 07.03.1976 को खातेदार लक्ष्मीबाई पत्नी मांगीलाल मेहता के जरिये बेचाननामा 1000/ रूपये में कय कर रूपये रोकड़ अदा कर कब्जा प्राप्त किया था उस समय की जमाबंदी संवत 2038—41 में दर्ज आ.सं. 9/14 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा का बेचाननामा वादी एवं वादीगण के पति व पिता के पक्ष में किया होना अंकित किया है जो गलत है। वादीगण द्वारा दिनांक 07.03.1996 को लिखा बेचाननामा रजिस्टर्ड नहीं होने से वादीगण का खातेदारी अधिकार की घोषणा का दावा लाने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है क्योंकि यह विधि द्वारा बाधित है बेचाननामा इकरार की पालना की घोषणा का अधिकार इस न्यायालय को नहीं है इसलिए क्षेत्राधिकार से बाधित होने के कारण दावा चलने योग्य नहीं है। वर्तमान में प्रतिवादी की माता के नाम पर खातेदारी अधिकार जमाबंदी में खातेदार है तथा कब्जा भी प्रतिवादी का है। वादीगण द्वारा बताया बेचाननामा दिनांक 07.03.1976 का लिखा हुआ है जिसकी पालना/घोषणा का वादपत्र करीब 47 वर्ष बाद पेश किया है जो अवधि बाधित होने के कारण भी वादपत्र चलने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थना है कि प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादपत्र इसी स्तर पर खारिज किये जाने का आदेश प्रदान करें।

वकील वादी की ओर से दिनांक 04.12.2024 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया कि वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र की ताईद में दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं। साक्ष्य एवं दस्तावेजों के परीक्षण से वादीगण अपना दावा स[illegible]। वादीगण को खातेदारी घोषणा का वाद पत्र विचारण न्यायालय में [illegible] में वादीगण की वाद वर्णित

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.12.05 16:22:15 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

आराजियात पर काबिज हो काश्त कर रहे हैं। प्रार्थना पत्र की प्रार्थिया का वर्तमान में आराजियात के किसी भी भू भाग पर कोई कब्जा नहीं है न ही कभी पूर्व में रहा है। वादीगण के अशिक्षित होने के कारण एवं रेवेन्यू रिकार्ड की जानकारी नहीं करने के अभाव में वादीगण वादपत्र प्रस्तुत नहीं कर पाऐ। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादीगण को आराजियात से बेदखल करने की धमकियां दी जिससे वादीगण को आराजियात अपने नाम नहीं होने की जानकारी हुई जिसके बाद वादीगण ने वादपत्र प्रस्तुत किया। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि वादीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाया जावे।

दौराने बहस वकील प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुऐ प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व धारा 11 सी.पी.सी. स्वीकार कर वाद खारिज करने का निवेदन किया। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत जवाब अनुसार प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 को खारिज करने का निवेदन किया। हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन किया, प्रार्थना पत्र व पत्रावली का अवलोकन किया। वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन् के पश्चात प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा. दी. इसी स्तर पर स्वीकार किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 11.11.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर, जिला-चित्तौड़गढ़

(महेश गागोरिया)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.12.05 16:22:15 IST
Reason: SelfAttested